



2026:AHC:34484

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट- ए संख्या-1675 सन् 2026

जसवीर सिंह

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

..... प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : आशुतोष शुक्ला, मनीष कुमार त्रिपाठी

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री आशुतोष शुक्ला और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह को सुना।

2. इस न्यायालय ने दिनांक 05.02.2026 को वर्तमान रिट याचिका पर सुनवाई की और निर्देश मांगे।

3. आज भ्रष्टाचार विरोधी संगठन, सहारनपुर के निरीक्षक/जांच अधिकारी के हस्ताक्षर के तहत दिनांकित 12.02.2026 को निर्देश प्रस्तुत किए गए हैं, जिन्हें अभिलेख पर रखा गया है और परिशिष्ट 'ए' के रूप में चिह्नित किया गया है।

4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह ने न्यायालय में बयान दिया है कि उन्हें निर्देश प्राप्त हैं और वे मामले पर बहस करने की स्थिति में हैं तथा वे कोई शपथपत्र दाखिल नहीं करना चाहते हैं। याचिका का निर्णय अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाए। पक्षकारों की सहमति से याचिका का निर्णय नए सिरे से किया जा रहा है।

5. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि याचिकाकर्ता एक सब इंस्पेक्टर है। याचिकाकर्ता के अनुसार, जब वह रामपुर मनहारन पुलिस स्टेशन, जिला सहारनपुर में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात था, तब इंस्पेक्टर द्वारा उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 13(1)(ख) और 13(2) के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता ने 20.12.2024 को 20,000 रुपये की रिश्वत ली थी। याचिकाकर्ता के अनुसार अन्वेषण किया गया और उसके बाद, पृष्ठ 83 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए, यह

2

प्रस्तुत किया गया कि इस संबंध में कोई भी आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली। याचिकाकर्ता के अनुसार, उक्त आरोप के संबंध में याचिकाकर्ता के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही भी की गई, जो बाद में आपराधिक कार्यवाही का विषय बन गया। इसके बाद याचिकाकर्ता ने रिट-ए संख्या 14147 सन् 2025 दाखिल की, जिसमें 19.09.2025 को एक अंतरिम आदेश पारित किया गया। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि यद्यपि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 13(1)(ख) और 13(2) के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 0013 सन् 2024 के संबंध में याचिकाकर्ता के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था। हालांकि, अब आक्षेपित नोटिस 17.12.2025 को जांच निरीक्षक/जांच अधिकारी,

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



भ्रष्टाचार निरोधी संगठन, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर के हस्ताक्षर के तहत जारी किया गया है, जिसमें याचिकाकर्ता को उनके समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा गया है।

6. इसी बात पर प्रश्न उठाते हुए यह रिट याचिका दाखिल की गई है।

7. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क देने का प्रयास किया है कि आक्षेपित नोटिस किसी भी क्षण के लिए भी मान्य नहीं है। उक्त तर्क को विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा कि एक बार भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 13(1)(ख) और 13(2) के तहत याचिकाकर्ता के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 0013 सन् 2024 दर्ज होने के बाद, कोई भी आपत्तिजनक सामग्री नहीं पाई गई, तो भी आरोपपत्र प्रस्तुत किया गया और उसके बाद, उन्हीं आरोपों पर विभागीय कार्यवाही की गई और रिट-ए संख्या 14147 सन् 2025 में 19.09.2025 को एक अंतरिम आदेश पारित किया गया था कि इस बीच जांच जारी रहे, लेकिन उक्त प्राथमिकी में निहित आरोपों के आधार पर कोई अंतिम आदेश पारित न किया जाए। अब याचिकाकर्ता को भ्रष्टाचार विरोधी विभाग के कहने पर आगे की जांच के अधीन नहीं किया जा सकता है। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता पर उसी अपराध के लिए विचारण नहीं चलाया जा सकता जो पहले से ही प्रथम सूचना रिपोर्ट और नियमित विभागीय जांच का विषय है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय का ध्यान धारा 13 (ख) और उससे संबंधित स्पष्टीकरण की ओर भी दिलाया है, जिससे यह तर्क दिया जा सके कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 लोक सेवक द्वारा आपराधिक कदाचार के बारे में बात करती है, जिसके अनुसार लोक सेवक को आपराधिक कदाचार का दोषी माना जाता है यदि कोई व्यक्ति इस अपराध की अवधि के दौरान जानबूझकर अवैध रूप से धन अर्जित करता है, तो वह आपराधिक कदाचार का अपराध

3

करता है। प्रथम स्पष्टीकरण के अनुसार, किसी व्यक्ति को जानबूझकर अवैध रूप से धन अर्जित करने वाला तब माना जाएगा, जब वह या उसकी ओर से कोई व्यक्ति अपने अपराध की अवधि के दौरान किसी भी समय अपनी आय के स्रोतों के अनुपात से अधिक धन या संपत्ति रखता हो, जिसका लोक सेवक संतोषजनक ढंग से हिसाब नहीं दे सकता। इस प्रकार, प्रस्तुतीकरण यह है कि एक बार जब प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोप और अभियोग 20,000 रुपये की रिश्वत लेने से संबंधित है, तो अवैध रूप से धन अर्जित करना प्रथम सूचना रिपोर्ट का अभिन्न अंग होगा, और इसलिए, इस संबंध में आगे की जांच, वह भी भ्रष्टाचार निरोधी विभाग द्वारा, नहीं की जा सकती।

8. विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह ने निर्देशों के आधार पर यह प्रस्तुत किया कि भ्रष्टाचार निरोधी विभाग द्वारा की जा रही जांच अनुपातहीन संपत्ति से संबंधित है, जो प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए 20,000 रुपये की रिश्वत लेने के आरोप से पूरी तरह भिन्न है। उन्होंने कहा कि केवल नोटिस जारी किया गया है और याचिकाकर्ता को इसका जवाब देना है।

9. मैंने बार द्वारा दी गई दलील सुनी है और अभिलेख का परीक्षण किया है।

10. स्पष्टतः, याचिकाकर्ता, जो एक सब इंस्पेक्टर हैं, के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7, 13(1)(ख) और 13(2) के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर संख्या 0013 सन् 2024) दर्ज होने के बाद जांच शुरू की गई। याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया, हालांकि याचिकाकर्ता के अनुसार कोई भी आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली। प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों के आधार पर विभागीय जांच शुरू की गई, जिसे याचिकाकर्ता ने रिट-ए संख्या 14147 सन् 2025 में चुनौती दी थी। इस याचिका में 19.09.2025 को अंतरिम आदेश पारित किया गया था कि जांच जारी

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



रहे, लेकिन कोई अंतिम आदेश पारित न किया जाए। हालांकि, अब भ्रष्टाचार निरोधी विभाग के इंस्पेक्टर/ जांच अधिकारी ने 17.12.2025 को याचिकाकर्ता को सम्मन करते हुए नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत इस तर्क की जांच करने के लिए कि क्या एंटी-पुलिस द्वारा जांच की जा सकती है, भ्रष्टाचार विरोधी विभाग के लिए प्रासंगिक तथ्य प्रथम सूचना रिपोर्ट में निहित आरोप और दिनांकित 17.12.2025 के नोटिस से सामने आने वाला विषय है। महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में एक जाल बिछाने का आरोप है, जिसके तहत 20.12.2024 को याचिकाकर्ता को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। इस प्रकार, जांच का क्षेत्र प्रथम सूचना

4

रिपोर्ट में निहित आरोपों, अर्थात् 20,000 रुपये की रिश्वत लेने से संबंधित है। उक्त आरोप भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 13(1)(ख) और 13(2) के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आते हैं। भ्रष्टाचार विरोधी विभाग का नोटिस दिनांकित 17.12.2025 इस प्रकार है:

“आप को अवगत कराया जाता है कि पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निवारण संगठन, 30 प्र० लखनऊ के पत्र संख्या:11603/स०पुर(71)/12/2025(528) पी० ई० दिनांकित 01.12.2025 के क्रम में आप के विरुद्ध अपने पद पर रहते हुये अनानुपातिक सम्पत्ति अर्जित किये जाने के आरोपों के सम्बन्ध में मुझ निरीक्षक द्वारा जांच की जा रही है, जांच के दौरान आप को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान करते हुए सूचित किया जाता है।

अतः आप नोटिस प्राप्त होने के पश्चात पांच दिवस के अन्दर किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से सांय 17.00 बजे के मध्य अपना अभिकथन अंकित कराये जाने हेतु पुलिस लाइन जनपद सहारनपुर में स्थित भ्रष्टाचार निवारण संगठन सहारनपुर, कार्यालय पर उपस्थित हों।”

11. नोटिस दिनांकित 17.12.2025 को सरसरी तौर पर देखने से स्पष्ट होता है कि इसमें याचिकाकर्ता द्वारा उप निरीक्षक के रूप में कथित रूप से अर्जित अनानुपातिक संपत्ति के संबंध में जांच/पड़ताल करने का उल्लेख है। नोटिस दिनांकित 17.12.2025 को चुनौती देने के चरण में, इस न्यायालय को आरोपों के गुण-दोष पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, नोटिस पहले ही जारी किया जा चुका है और याचिकाकर्ता को इसका जवाब देना है। इस न्यायालय को जांच अधिकारी के अधिकार क्षेत्र और प्राधिकार का अतिक्रमण करने की आवश्यकता नहीं है: याचिकाकर्ता को इस संबंध में अपनी बात रखने का पूरा अवसर प्राप्त है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि बीएनएसएस-2023 की धारा 193(9) के तहत आगे की जांच के लिए न्यायालय से अनुमति लेने का प्रावधान है। ये सभी ऐसे मुद्दे हैं, यदि याचिकाकर्ता के अनुसार प्रासंगिक और विधिक रूप से मान्य हैं, तो याचिकाकर्ता को इस संबंध में उचित कार्यवाही करते हुए इन पर प्रश्न उठाना चाहिए। चूंकि वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता सिविल नोटिस पर प्रश्न उठा रहा है। अतः, इस न्यायालय को मामले के उक्त पहलू पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

12. तदनुसार, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है। याचिकाकर्ता को अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होने और सभी विधिक और तथ्यात्मक आधार प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता है और इस न्यायालय के पास यह अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि उन पर विचार न किया जाएगा और याचिकाकर्ता के लिए उचित समय पर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष इस पर प्रश्न उठाना हमेशा खुला है।

5

13. आज दाखिल किए गए निर्देशों को अभिलेख में दर्ज कर लिया गया है और परिशिष्ट 'ए' के रूप में चिह्नित किया गया है।

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



16 फरवरी, 2026

राजेश

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

नोट- लगभग 120 शब्द पहले से ही निर्णय में हिन्दी के हैं।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"